

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई टोंक

पीठासीन अधिकारी :- सुरेश कुमार हरसोलिया, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 89 / 2023

प्रविष्टि दिनांक :- 07.07.2023

वादी :-

1. राधेश्याम पुत्र मालसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक (मृतक)
  - 1/1 कान सिंह पुत्र राधेश्याम जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
  - 1/2 दशरथ सिंह पुत्र राधेश्याम जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
  - 1/3 विजयलक्ष्मी कंवर पुत्री राधेश्याम जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
  - 1/4 सीमा कंवर पुत्री राधेश्याम जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
  - 1/5 जसवंत कंवर बेवा राधेश्याम जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अमरसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति दरोगा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
  2. पुष्पा पुत्री हनुमान सिंह जाति दरोगा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
  3. मधु पुत्री हनुमान सिंह जाति दरोगा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
  4. मानकंवर पुत्री हनुमान सिंह जाति दरोगा निवासी भांवता तहसील निवाई जिला टोंक
  5. मानसिंह माता मीरा पुत्र गणेश जाति दरोगा निवासी बन्ने बासड़ा तहसील बाँली जिला सवाईमाधोपुर
  6. भवानी सिंह माता मीरा पुत्र गणेश सिंह जाति दरोगा निवासी बन्नेसिंह बासड़ा तहसील बाँली जिला सवाईमाधोपुर
  7. तहसीलदार महोदय तहसील निवाई जिला टोंक
  8. उप पंजीयक महोदय तहसील निवाई जिला टोंक
- उपस्थित :- श्री रमेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी की ओर से।

### निर्णय

दावा :- उदघोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 23/4/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र आराजी खसरा नंबर 719/2 रकबा 1.7705 है 0 वाके ग्राम भांवता निवाई तहसील निवाई जिला टोंक बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण को दिनांक 02.12.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार निवाई से कुर्रेजात रिपोर्ट (पी0डी0) चाही गई जिसकी पालना में तहसीलदार निवाई द्वारा पी0डी0 रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार निवाई ने पत्रांक 2383 दिनांक 12.02.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल है।

तहसीलदार निवाई द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसका अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी  
निवाई (टोंक)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाइ, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :- सुरेश कुमार हरसोलिया, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 89 / 2023

प्रविष्टि दिनांक:- 07.07.2023

वादी :-

1. राधेश्याम पुत्र मालसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाइ जिला टोंक (मृतक)
  - 1/1 कान सिंह पुत्र राधेश्याम जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाइ जिला टोंक
  - 1/2 दशरथ सिंह पुत्र राधेश्याम जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाइ जिला टोंक
  - 1/3 विजयलक्ष्मी कंवर पुत्री राधेश्याम जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाइ जिला टोंक
  - 1/4 सीमा कंवर पुत्री राधेश्याम जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाइ जिला टोंक
  - 1/5 जसवंत कंवर बेवा राधेश्याम जाति दरोगा निवासी ग्राम भांवता तहसील निवाइ जिला टोंक

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अमरसिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति दरोगा निवासी भांवता तहसील निवाइ जिला टोंक
2. पुष्पा पुत्री हनुमान सिंह जाति दरोगा निवासी भांवता तहसील निवाइ जिला टोंक
3. मधु पुत्री हनुमान सिंह जाति दरोगा निवासी भांवता तहसील निवाइ जिला टोंक
4. मानकंवर पुत्री हनुमान सिंह जाति दरोगा निवासी भांवता तहसील निवाइ जिला टोंक
5. मानसिंह माता मीरा पुत्र गणेश जाति दरोगा निवासी बन्ने बासड़ा तहसील बाँली जिला सवाईमाधोपुर
6. भवानी सिंह माता मीरा पुत्र गणेश सिंह जाति दरोगा निवासी बन्नेसिंह बासड़ा तहसील बाँली जिला सवाईमाधोपुर
7. तहसीलदार महोदय तहसील निवाइ जिला टोंक
8. उप पंजीयक महोदय तहसील निवाइ जिला टोंक

**दावा :- उदघोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थित :- श्री रमेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी की ओर से।

**अंतिम पर्चा डिकी**

अतः वादी का वाद तहसीलदार निवाइ से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है हाल खसरा नंबर 719/2 रकबा 1.7705 है 0 वाके ग्राम कस्बा निवाइ तहसील निवाइ जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

ग्राम-भांवता, पटवार मण्डल-भांवता तहसील निवाइ, जिला टोंक

जमाबंदी संवत 2079,		खसरा नं०-719/2 (रकबा हैक्टेयर मे)	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1	वादीगण	719/2	0.8853
	योग	किता-1	0.8853
2	प्रतिवादीगण	719/2	0.8852
	योग	किता-1	0.8852

आज दिनांक 23/4/25 को ये अंतिम डिकी पर्चा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
 (सुरेश कुमार हरसोलिया)  
 उपखण्ड अधिकारी, निवाइ

## आदेश

अतः वादी का वाद तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है हाल खसरा नंबर 719/2 रकबा 1.7705 है0 वाके ग्राम भांवता तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

ग्राम-भांवता, पटवार मण्डल-भांवता तहसील निवाई, जिला टोंक

जमाबंदी संवत् 2079,		खसरा नं0-719/2 (रकबा हैक्टेयर मे)	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1	वादीगण	719/2	0.8853
	योग	किता-1	0.8853
2	प्रतिवादीगण	719/2	0.8852
	योग	किता-1	0.8852

आज दिनांक 23/4/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोनिया)  
उपखण्ड अधिकारी, निवाई